LABOUR AND EMPLOYMENT DEPARTMENTS

The 17th January, 1995

No. 3/42/83--3 Lab.— In exercise of the powers conferred by Section 7 and 9 of the Minimum Wages Act, 1948 read with rule 4 of the Punjab Minimum Wages Rules, 1850 and all other powers enabling him in this behalf, the Governor of Haryana hereby nominates the following members and appoints the Financial Commissioner & Secretary to Govt. Haryana, Labour and Employment Departments as Chairman of the Advisory Board, namely :—

Government Nominees :

1.	Financial Commissioner and Secretary to Govt. Haryana, Labour and Employment Departments.	.. Chairman
2.	Director of Industries	.. Member
3.	Economic and Statistical Advisor, Haryana.	.. Member
4.	Engineer-in-Chief, PWD, B & R, Haryana	.. Member
5.	Labour Commissioner, Haryana, Chandigarh	.. Member/Secretary

Representatives of Employers :

1.	Sh. Parshotam Sharma, Paliwal Nagar, G. T. Road, Panipat	.. Member
2.	Sh. O. P. Lakhani, M/s Bharat Bolt Corp. Faridabad.	.. Member
3.	Shri Desai, M/s Kelvinator Pvt. Ltd., Faridabad	.. Member
4.	Sh. K. C. Mayar, President, Faridabad Industries Association, Faridabad	.. Member
5.	Sh. K. C. Lakhani, Lakhani Shoes, Faridabad.	.. Member
6.	Dr. Jai Gopal Sharma, Yamuna Nagar.	.. Member

Representatives of the Employees :

1.	Sh. Satbir Singh, General Secretary, CITU, 123, Jawahar Nagar, Hissar.	.. Member
2.	Sh. Raghubir Singh, General Secretary, ATUC, Asandh Road, Panipat.	.. Member
3.	Sh. K. L. Sharma, Vice President, INTUC, Sector 11, Faridabad.	.. Member
5.	Sh. Rakesh Kumar, 375/16, Jhajjar Road, Rohtak.	.. Member
5.	Sh. Sukh Nandan Singh (B.M.S.) G. M. N. College, Ambala Cantt.	.. Member
6.	Sh. S. N. Solanki, President, CITU, Bhood Colony, Old Faridabad.	.. Member
7.	Sh. Satbir Singh, Labour Leader, V. & P. O. Bohar, Distt. Rohtak	.. Member
8.	Sh. Satbir Singh, V. & P. O. Damdama, Gurgaon.	.. Member

2. The Headquarters of the Advisory Board will be at Chandigarh. The meeting of the Board may be held at the Headquarters or at any other place in the State of Haryana at the discretion of the Chairman.

3. The term of the Board will be for a period of two years from the date of publication of this notification in the official Gazette.

4. The Non-official members of the Board will be entitled to T.A./D.A. in accordance with Govt. instructions issued from time to time further conditions as laid down in the T.A. Rules for Govt. servants will apply to journey performed by the non-official members except also where otherwise provided.

5. The Labour Commissioner, Haryana will be Controlling Officer in respect on the T.A. Bills of non-official members of the Board.

6. The head of account to which expenditure is to be debited may please be communicated to Accountant General, Haryana under intimation to Government. The expenditure will be borne by the department out of its existing budget grant.

7. This issues with the concurrence of Finance Department,—*vide* its U.O. No. 9/37/88-2FD III/3539(94), dated 16th January, 1995.

P. R. KAUSHIK,

Financial Commissioner & Secy. to Govt., Haryana,
Labour and Employment Departments.

श्रम तथा रोजगार विभाग

दिनांक 17 जनवरी, 1995

संख्या 3/42/83-3श्रम.—पंजाब न्यूनतम मजदूरी नियम, 1950 के नियम 4 के साथ पठित न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 की धारा 7 व 9 द्वारा प्रदान की गई शक्तियों तथा इस निमित्त उन्हें समर्थ बनाने वाली सभी अन्य शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा सलाहकार बोर्ड के निम्नलिखित सदस्यों को नामजद करते हैं तथा वित्तायुक्त एवं सचिव, हरियाणा सरकार, श्रम तथा रोजगार विभाग को इसका अध्यक्ष नियुक्त करते हैं, अर्थात् :—

सरकारी नामनिर्देशिति

1.	वित्तायुक्त एवं सचिव, हरियाणा सरकार, श्रम तथा रोजगार विभाग	.. अध्यक्ष
2.	निदेशक, उद्योग विभाग, हरियाणा	.. सदस्य
3.	अर्थ तथा सांख्यकीय सलाहकार, हरियाणा	.. सदस्य
4.	प्रमुख इंजीनियर, लोक निर्माण विभाग (भवन तथा सड़क), हरियाणा	.. सदस्य
5.	श्रम आयुक्त, हरियाणा	.. सदस्य सचिव

नियोजकों के प्रतिनिधि

1.	श्री पुरुषोतम शर्मा, पालीवाल नगर, जी० टी० रोड, पानीपत	.. सदस्य
2.	श्री ओ० पी० लखानी, मैं० भारत बोल्ट निगम, फरीदाबाद	.. सदस्य
3.	श्री देसाई, मैं० कैलवीनेटर, प्रा० लि०, फरीदाबाद	.. सदस्य
4.	श्री के० सी० मायुर, अध्यक्ष, फरीदाबाद औद्योगिक संगठन, फरीदाबाद	.. सदस्य
5.	श्री के० सी० लखानी, लखानी शूज, फरीदाबाद	.. सदस्य
6.	डा० जय गोपाल शर्मा, यमुना नगर	.. सदस्य

श्रमिकों के प्रतिनिधि

1.	श्री सतबीर सिंह, जनरल सैक्रेटरी, सीटू, 123, जवाहर नगर, हिसार	.. सदस्य
2.	श्री रघुबीर सिंह, महासचिव, एटक, असंघ रोड, पानीपत	.. सदस्य
3.	श्री के० एल० शर्मा, उपाध्यक्ष इंटक, सैक्टर-11, फरीदाबाद	.. सदस्य

4. श्री राकेश कुमार, 375/16, झज्जर रोड़, रोहतक .. सदस्य

5. श्री सुख नन्दन सिंह (बी० एम० एस०) जी० एम० एन० कालेज, अम्बाला छावनी .. सदस्य

6. श्री एम० एन० सोलंकी, अध्यक्ष सोटू, मूड कालोनी, पुराना फरीदाबाद .. सदस्य

7. श्री सतबीर सिंह, लेबर डीलर, गांव व डाकखाना बोहर, जिला रोहतक .. सदस्य

8. श्री सतबीर, गांव व डाकखाना दमदमा, गुड़गांव .. सदस्य

2. सलाहकार बोर्ड का मुख्यालय चण्डीगढ़ में होगा। बोर्ड की बैठक अध्यक्ष के विवेकानुसार मुख्यालय में अथवा हरियाणा राज्य में किसी अन्य स्थान पर की जा सकती है।

3. बोर्ड का कार्यालय इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से दो वर्ष की अवधि के लिए होगा।

4. बोर्ड के गैर सरकारी सदस्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी की गई हिदायतों के अनुसार यात्रा भत्ता और दैनिक भत्ते के हकदार होंगे। सरकारी कर्मचारियों के लिए यात्रा भत्ता नियमावली में लिखित अन्य सभी शर्तें गैर सरकारी सदस्यों द्वारा की गई यात्राओं पर भी लागू होंगी जब तक कि कोई विशेष प्रावधान न किया गया हो।

5. श्रम आयुक्त, बोर्ड के गैर सरकारी सदस्यों के यात्रा भत्ता के बिलों के संबंध में नियन्त्रण अधिकारी होंगे।

6. लेखा शीर्ष, जिसमे इस खर्चे को वहन किया जाएगा, वह कृपया महालेखाकार हरियाणा को लिखा जाए तथा सरकार को भी सूचित किया जाए। यह खर्चा विभाग द्वारा उनको वर्तमान बजट ग्रांट से किया जाएगा।

7. यह अधिसूचना वित्त विभाग की सहमति (कनकरैंस) से जारी की जाती है जो कि उन्होंने अपने अशा: क्रमांक 9/37/88-2वि० वि० 111/3539(94), दिनांक 16 जनवरी, 1995 द्वारा सूचित किया है।

पी० आर० कौशिक,

वित्तायुक्त एवं सचिव, हरियाणा सरकार,
श्रम तथा रोजगार विभाग।

स्वास्थ्य विभाग

दिनांक 21 दिसम्बर, 1994

संख्या 46/14/80-5स्वाश० II—चूंकि सरकार इस बात से सन्तुष्ट है कि हरियाणा राज्य में भयानक महामारी अर्थात् संक्रामक यकृत विकार (पीलिया) फैलने का खतरा है और इस प्रयोजन के लिये इस समय लागू विधि के साधारण उपाय अपर्याप्त हैं :

इसलिये अब महामारी अधिनियम, 1897 की धारा 2 द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल इसके द्वारा—

(i) उपायुक्तों को उनके अपने-अपने जिलों के क्षेत्रों में निम्नलिखित शक्तियां प्रदान करते हैं :—

(क) किन्हीं निर्दिष्ट खाद्य पदार्थों या पेयों अथवा ऐसे पदार्थों अन्य वर्गों के जिले के किसी स्थानीय क्षेत्र में विक्रय या विक्रय के लिये प्रदर्शन या उसमें आयात अथवा उससे निर्यात को रोकना ;

(ख) किन्ही अस्वास्थ्यकर खाद्य अथवा पेय पदार्थों को नष्ट करने के आदेश देना ;

(ग) किसी भी व्यक्ति को किसी भी बाजार, भवन, दुकान स्टाल या ऐसे स्थान में जो किन्हीं खाद्य अथवा पेय पदार्थ विक्रय भण्डारकरण अथवा मुफ्त वितरण के लिये उपयोग में लाया जाता है प्रवेश करने वाले ऐसे

पदार्थों की जांच करने और यदि वह अस्वास्थ्यकर पाये जायें तो जब्त करने, हटाने, नष्ट करने या उसे किसी भी ऐसे तरीके से जैसा वह उचित समझें समाप्त कराने के लिये प्राधिकृत करना ताकि उसे मानवों के उपयोग आने से रोका जा सके ;

(घ) सभी प्रयोजनों के लिये जल की सप्लाई हेतु उपायुक्त स्थान पृथक करना और किसी अन्य स्रोत से जल के उपयोग का निषेध करना और उस स्रोत का जिससे ऐसी जल सप्लाई प्राप्त की जा सकती है, समय, रीति तथा शर्तें नियमित करना ;

(ङ) किसी बर्फ के कारखाने या बाति जल या खनिज जल कारखाने भी बन्द करने के आदेश देना ;

(च) स्नान के लिये उपयुक्त स्थान पृथक करना और महिलाओं तथा पुरुषों के लिये, जिनके द्वारा ऐसे स्थानों को उपयोग में लाया जा सकता है अलग-अलग समय निर्दिष्ट करना ;

(छ) पशुओं को नहलाने और कपड़े धोने के लिये या जनता के स्वास्थ्य, सफाई अथवा सुविधा से सम्बन्धित किसी अन्य प्रयोजनों के लिये स्थान पृथक् करना ;

(ज) खण्ड (च) के अधीन विनिर्दिष्ट व्यक्तियों द्वारा सामान्यतः भिन्न स्नान करने की अथवा ऐसे प्रयोजन के लिये नियत कि ये गये स्थानों से भिन्न स्थान पर पशुओं के नहलाने या कपड़े धोने को रोकना ;

(झ) अलगाव शिविरों, अस्पतालों और चिकित्सा निरिक्षण चौकियों की स्थापना करना ;

(ञ) किसी संक्रामक यकृत विकार (पीलिया) से पीड़ित व्यक्ति को अलगाव शिविर या हस्पताल में भेजने तथा रोके रखने के आदेश देना;

(ट) जिले में किसी मेले के आयोजन को रोकना ;

(ठ) यह आदेश देना कि कोई विनिर्दिष्ट व्यक्ति या किसी विनिर्दिष्ट क्षेत्र के भीतर सभी व्यक्ति टीका लगवायें व अवयस्कों के मामले में आदेश उनके माता पिता या अभिभावकों को सम्बोधित होंगे और तब ऐसे सभी व्यक्तियों की टीका लगवाने अपेक्षित होंगे।

(ii) महा निदेशक, वरिष्ठ निदेशक, निदेशक और उप-निदेशक स्वास्थ्य सेवाएं, हरियाणा सिविल सर्जनों, जिला स्वास्थ्य अधिकारियों/जिला चिकित्सा अधिकारियों, वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारियों, सभी नगरपालिकाओं, चिकित्सा अधिकारियो, सरकारी या स्थानीय निकाये अस्पतालों और औषधालयों (डिस्पैन्सरियों) के कार्यभारी चिकित्सा अधिकारियों, सरकारी खाद्य निरीक्षकों, वरिष्ठ सफाई निरीक्षकों, बहुउद्देशीय स्वास्थ्य निगराम, सहायक यूनिट अधिकारियों, सेहायक मलेरिया अधिकारियों, और सभी मजिस्ट्रेटों को उनके अपनेअपने अधिकार क्षेत्रों में निम्नलिखित शक्तियां प्रदान करते हैं :—

(क) किन्ही अस्वास्थ्यकर खाद्य या पेय पदार्थों को नष्ट करने के आदेश देना ;

(ख) किसी संक्रामक यकृत विकार (पीलिया) से पीड़ित अथवा पीड़ित होने की संभावना वाले व्यक्ति को हट जाने और अलगाव शिविर या अस्पताल में भेजने तथा रोका रखने के आदेश देना ;

(ग) ऐसे किसी व्यक्ति को टीका लगवाने के आदेश देना, जिसे उनकी राय में छूट होने का डर हो (अवयस्कों के मामले में ये आदेश उनके माता-पिता या अभिभावकों को सम्बोधित होंगे) ;

(घ) संक्रामक यकृत विकास के रोगियों का पता लगाने अथवा उस बीमारी का टीका लगवाने या रोगाणु नाशन के प्रयोजनार्थ किसी भी परिसर में प्रवेश करना ;

(ङ) किन्हीं नालियों, परिसरों, शौचालयों, वस्त्रों, बिस्तरों या किसी अन्य वस्तु को जो उनकी राय में रोगा-ग्रस्त है या जिससे रोगाणुओं के फैलने की संभावना है सफाई या उसके रोगाणुनाशन के और किसी भी वस्तु घृणोत्पादक समाग्री, कूड़ कर्कट, दिष्ठा, गंदगी या किसी प्रकार की गन्दगी को हटाने और उसे समाप्त करने अथवा उपयुक्त रोगाणुनाशकों (Disinfectants) को प्रयोग में लाने में आदेश देना ;

(च) पीने के पानी को सार्वजनिक और निजी दोनों प्रकार की सप्लाई के क्लोरीकरण का आदेश देना।

(iii) महानिदेशक, वरिष्ठ निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएं, हरियाणा और सिविल सर्जनों को उनके अपने-अपने अधिकार क्षेत्रों में निम्नलिखित शक्तियां प्रदान करते हैं :—

(क) जब भी जिला में संक्रामक यकृत विकार फैलने का डर हो तो नगरपालिका क्षेत्रों एवं पंचायत समितियों के अधीन क्षेत्रों के लिये विद्यमान पद संख्या से दुगने पदों तक महतरों या सफाई मजदूरों, सफाई निरीक्षकों या वरिष्ठ सफाई निरीक्षकों के पद बनाना और उक्त पदों को जिले के संक्रामक यकृत विकार (पीलिया) से मुक्त होने की घोषणा की तिथि से एक दूसरे मास तक अस्थायी रूप से भरना और यह आदेश देते हैं कि घर का मुखिया या घर का कोई व्यस्क सदस्य ;

(ख) प्रत्येक पंजीकृत प्राइवेट चिकित्सा व्यवसायी जिसे किसी घर में संक्रामक यकृत विकार (पीलिया) होने का ज्ञान हो, इसकी सूचना इसके पता लगने से चौबीस घण्टे के भीतर ग्राम पंचायत के सरपंच को या उसके न होने पर गांव के नम्बरदार को या किसी स्थानीय अस्पताल/औषधालय के कार्यकारी चिकित्सा अधिकारी को या नगरपालिका के सचिव को देगा जिनके अधिकार क्षेत्र में वह रहता है या व्यवसाय करता है जो बाद में मामलों की रिपोर्ट सम्बन्धित सिविल सर्जन को देने का जिम्मेदार होगा ;

(ग) यह निर्देश देते हैं कि खण्ड (i) के अधीन सम्बन्धित उपायुक्त द्वारा जारी किया गया कोई आदेश उस स्थानीय क्षेत्र से तब तक लागू रहेगा जब तक ऐसा स्थानीय क्षेत्र सिविल सर्जन द्वारा सरकारी तौर पर संक्रामक यकृत विकार से मुक्त घोषित नहीं कर दिया जाता। यह निर्देश देते हैं कि इस आदेश के अधीन सशक्त किसी व्यक्ति द्वारा इसके द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुये किये गये किसी उपाय की लागत उस पंचायत समिति या नगर पालिका द्वारा जुटाई जायेगी जिसके अधिकार क्षेत्र में ऐसा उपाय किया है और इसकी वसूली करने के कार्य हरियाणा द्वारा खजानें में सम्बन्धित स्थानीय प्राधिकरण की निधियों के बकायों में से कटौती द्वारा की जा सकती है।

यह आदेश इस अधिसूचना के सरकारी राजपत्र में प्रकाशित होने की तिथि से 31 दिसम्बर, 1995 तक लागू रहेगा।

रघबीर सिंह,

आयुक्त एवं सचिव, हरियाणा सरकार,
स्वास्थ्य विभाग।

PUBLIC WORKS DEPARTMENT

BUILDING AND ROAD BRANCH CIRCLE JIND

Notification

The 17th January, 1995

No. 814.—Whereas it appears to the Governor of Haryana that the land is likely to be required to be taken by the Government at public expense, for a public purpose, namely, for Constg. Farasmajra to Kheri Gulamali road, District Kaithal, it is hereby notified that the land described in the specification below is required for the above purpose.

This notification is made under the provisions of section 4 of the Land Acquisition Act, 1894, to all whom it may concern.

In exercise of the powers conferred by the aforesaid section, the Governor of Haryana, is pleased to authorise the officers, for the time being engaged in the undertaking with their servants and workmen to enter upon and survey any land in the locality and do all other acts required or permitted by that section.

Any person interested, in the above land who has any objection of the acquisition of any land in the locality, may, within thirty days of the publication of this notification file an objection in writing before the land acquisition Collector, Haryana Public Works Department, Building & Road Branch Hissar.

SPECIFICATION

Tehsil/ Distt.	Locality/ Village	Hadbast No.	Area in Acres	Khasra No.	Remarks
1	2	3	4	5	6
Kaithal	Farasmajra	2	0—11	23/20	

(Sd.) . . .,

Superintending Engineer,
Jind Circle, P.W.D., B. & R. Branch,
Jind.

लोक निर्माण विभाग
भवन एवं सड़क शाखा
परिमण्डल जीन्द
अधिसूचना
दिनांक 17 जनवरी, 1995

सं० 814.—चूंकि हरियाणा के राज्यपाल को प्रतीत होता है कि नीचे विनिर्दिष्ट भूमि सरकार द्वारा सरकारी खर्चे पर सार्वजनिक प्रयोजन अर्थात्, फर्शमाजरा से खेड़ी गुलामअली सड़क के लिए जिला कैथल में नीचे वर्णित परिक्षेत्र में भूमि उपर्युक्त प्रयोजन के लिये अपेक्षित है।

यह अधिसूचना भूमि अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा 4 के उपबन्धों के अधीन उन सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिये की जाती है जिनका इससे सम्बन्ध है।

पूर्वोक्त धारा द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इस समय इस कार्य में लगे अधिकारियों को उनके सेवकों तथा कर्मचारियों सहित परिक्षेत्र में किसी भूमि पर प्रवेश और सर्वेक्षण करने तथा उस धारा द्वारा अपेक्षित या अनुज्ञात सभी अन्य कार्य करने के लिये इसके द्वारा प्राधिकृत करते हैं।

कोई हितबद्ध व्यक्ति जिसे उक्त परिक्षेत्र में किसी भूमि अर्जन के सम्बन्ध में कोई आक्षेप हो, इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन से या दो समाचार पत्रों में या उस परिक्षेत्र में प्रचार की तिथि से जो भी बाद में हो तीस दिन की अवधि के भीतर भूमि अर्जन कलैक्टर हरियाणा लोक निर्माण विभाग भवन एवं सड़क शाखा हिसार के सम्मुख लिखित रूप में आक्षेप दायर कर सकता है।

भूमि के नक्शों का निरीक्षण कार्यकारी अभियन्ता प्रान्तीय मण्डल कैथल के कार्यालय में किया जा सकता है।

विशिष्टियां

जिला	तहसील	परिक्षेत्र/ग्राम हदबस्त नं०	क्षेत्रफल एकड़ों में	खसरा नं०	परिक्षेत्र का विवरण
कैथल	कैथल	फर्शमाजरा, 2	0·11	23/20	

(हस्ताक्षर.) . . .,

अधीक्षक अभियन्ता,
जीन्द सर्कल, लोक निर्माण विभाग,
भवन तथा मार्ग शाखा, जीन्द ।